

क्रमांक :- 1293

दिनांक :- 25/02/2020

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

होफ, राजस्थान सरकार

प्रसंग :- F-14 ( )2018/FCA/PCCF/EDS-1 dated 07.10.2019 के जवाब के क्रम में।

प्रस्ताव का नाम :- Construction Of Road from Dikwani to Gadar Ishatori

यूजर एजेन्सी का नाम :- Executive Engineer, PWD Shahbad (Raj.)


प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र :- 6.21 Hac. (Baran)

प्रस्तावित जिला एवं वनमण्डल :- Baran District and Baran territorial

प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि :- FP/RJ/ROAD/34417/2018 30.08.2019

A-1 Project Details	1. प्रस्ताव में प्रस्तावित रोड कितनी लम्बाई में बनाई जा रही है स्पष्ट नहीं किया गया है	प्रस्तावित रोड की लम्बाई 6.65 कि.मी है।
A-3 Details of person making application	1. यूजर एजेन्सी द्वारा अधिकृत किये गये अधिकारी के हस्ताक्षर सत्यापित नहीं किये गये हैं।	अधिकृत अधिकारी अधिशाषी अभियन्ता है।
B- Details of land required for forest	1. यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में पूर्व में स्वीकृत/ अस्वीकृत प्रक्रियाधीन प्रस्तावों की सूची अपूर्ण एवं अद्यतन नहीं दी गई है।	संलग्न सूची को परिवर्तित नहीं किया जा सकता।
C maps of forest land proposed to be diverted	1. डी.जी.पी.एस. मेप में प्रारम्भ एवं अंतिम स्थान को स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है	डी.जी.पी.एस. मेप में प्रारम्भ एवं अंतिम स्थान को स्पष्ट कर दिया गया है
D- Justification for locating the project in forest land and details of alternatives examined	1. प्रस्ताव की पूर्ण औचित्यता नहीं दी गई है एवं दिये गये विकल्पों को KML File में दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्ताव में अन्य विकल्पों की KML File दिये जाने हेतु स्थान उपलब्ध नहीं है।
L- Details of land identified for Compensatory Afforestation	1. प्रस्ताव में गैर वन भूमि दिये जाने हेतु नहीं अंकित किया गया है। जबकि प्रस्ताव में प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि दिया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु जिला कलेक्टर का आदेश एवं प्रस्तावित भूमि के KML File, DGPS Map & GT Sheet दिया जाना प्रस्तावित है।	अण्डरटेकिंग लगा दी गई है।
Additional information Details	1. प्रस्ताव में अधिकृत किया गया अधिकारी हरि प्रसाद मीणा है जबकि प्रस्ताव में संलग्न सभी वचनवद्धताएँ आर.के.सोनी द्वारा हस्ताक्षर की गई हैं। सही स्थिति स्पष्ट करने हेतु संशोधित दस्तावेज संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	1. सही स्थिति लगा दी गई है।

	<p>2. प्रस्ताव में संलग्न प्रशासनिक स्वीकृति में 5 कि.मी. रोड स्वीकृत हैं जबकि आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव 6.5 कि.मी. का है कारण स्पष्ट किया जाना है।</p> <p>3. प्रस्ताव में प्रस्तावित रोड वन क्षेत्र में समाप्त हो जा रही है। इसका कारण स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है</p> <p>4. प्रस्ताव में संलग्न बार चार्ट में 400 मीटर में गैर वन भूमि में एवं 6250 वन क्षेत्र में निर्माण होना अंकित किया गया है जबकि प्रस्तावित वन क्षेत्र 6.21 है. अर्थात् 6210 मीटर में होना प्रस्तावित है संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।</p>	<p>2. वन भूमि प्रत्यावर्तन उपरान्त संशोधित स्वीकृति ले ली जायेगी।</p> <p>3. संशोधित कर दिया गया है</p> <p>4. संशोधित कर दिया गया है</p>
--	---	---

  
अधिशायी अभियन्ता

सा.नि.वि.

खण्ड, शाहबाद